

To,  
The Deputy Secretary/Joint Secretary,  
Affiliation Branch,  
Central Board of Secondary Education,  
New Delhi.


22/10/2024

**Subject : Review Inspection Compliance Submission.**

Sir/Madam,

This is in regards to the Deficiencies pointed and the Review Inspection of our school. We have removed all deficiencies and the latest pointwise update on the same is as under:

S.NO.	DEFICIENCY	COMPLIANCE
1	The school has submitted provisional recognition certificate which is valid upto 31-03-2018. However, copy of renewed / permanent recognition certificate has not been submitted by the school	The Copy of Permanent Recognition Certificate obtained from the concerned Education department vide letter No.- 5581 dated 30/01/2024 is attached herewith.
2	The school has not submitted the water test report of the school issued by a Govt. Authorized laboratory.	The water test report duly obtained from the concerned government department .i.e. "UP Jal Nigam" vide report no.-96 dated 31/01/2024 is attached herewith.
3	The composite science lab does not have gas connection in the workstations.	As Advised by the Board the Gas Connections are in the workstations of composite science lab are installed. The same can be seen in the videography.
4	The mathematics lab is under stocked and lab material shown during inspection.	As advised by the Board the school has purchased more equipment's to enrich our Maths Lab. The bill of the Material purchased is attached and the same can be seen in the videography also.
5	As per the videography, the computer lab is under stocked, it has less number of computers than the minimum requirement of 40 as per Board's SoP and circular.	As Advised by the Board, the School has purchased more computers. Now, the total number of computers are 40. Same can be seen in the videography aslso.

  
Principal  
Cambridge Global School  
Sikandrabad (U.P.)

  
Chairman/Manager  
Cambridge Global School  
Sikandrabad (U.P.)


6	<p>The boundary wall of the school is not clear in the inspection video. It is appearing that the school's building itself used as boundary wall, from the aerial view it is seen that, the building is attached with other plot. There is gate opening towards another plot (video ref time 0:29) and the purpose for same cannot be ascertained.</p>	<p>Our school campus is fully enclosed by a boundary wall of more than 06 feets of Height, providing complete security by demarcating the school premises from all surrounding areas. This ensures the compactness of the campus, creating a secure and contained environment for students and staff.</p> <p>The School is situated within the densely populated region of Sikandrabad. As observed in the inspection video (reference time: 0:29), the aerial view captures the Emergency Exit Gate. This gate is a key safety feature, offering a designated exit point during emergencies while also enhancing the overall security of the campus by controlling access from the local vicinity .i.e. The Gate seen in videography is not opening towards the Plot instead it is opening towards the Road.</p>
---	--	---


We have removed all the deficiencies pointed by the Board.

Please Grant the Provisional Affiliation upto Secondary Level as it is getting delayed from a long time.

Thanking You,

Yours Faithfully,

  
**Principal**  
**Cambridge Global School**  
**Sikandrabad (U.P.)**

  
**Chairman/Manager**  
**Cambridge Global School**  
**Sikandrabad (U.P.)**

कार्यालय      जिला      बेसिक      शिक्षा      अधिकारी      बुलन्दशहर।

पत्रांक प्रबन्ध/मान्यता 5581 / 2023 - 24

दिनांक 30-1-24

**प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि कैम्ब्रिज ग्लोबल स्कूल सिकन्द्राबाद नगर क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर को इस कार्यालय के पत्रांक: 396 - 98 दिनांक 18.04.2015 के द्वारा कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक अंग्रेजी माध्यम की मान्यता तीन वर्ष के लिए प्रदान की गई थी। साथ ही शासनादेशानुसार यह भी इंगित किया गया था यदि विद्यालय के विरुद्ध तीन वर्ष तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं होती है तो यह मान्यता स्वतः ही स्थायी मान ली जायेगी।

अतः कैम्ब्रिज ग्लोबल स्कूल सिकन्द्राबाद नगर क्षेत्र बुलन्दशहर के विरुद्ध अद्यतन कोई भी शिकायत कार्यालय को प्राप्त नहीं हुयी है, तथा इस आशय का शपथ पत्र प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः शासनादेशानुसार कैम्ब्रिज ग्लोबल स्कूल सिकन्द्राबाद की मान्यता स्थायी है।

डा०(लक्ष्मीकान्त पाण्डेय)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बुलन्दशहर।

पृ०सं०:प्रबन्ध/मान्यता 5581 / 2023 - 24, तददिनांक

प्रतिलिपि:- प्रबन्धक कैम्ब्रिज ग्लोबल स्कूल सिकन्द्राबाद नगर क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में।

बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बुलन्दशहर।



प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
बुलन्दशहर।

प्रेष्य,

प्रबन्धक,

कैम्ब्रिज ग्लोबल स्कूल,  
सिकन्द्राबाद नगर क्षेत्र  
जिला-बुलन्दशहर।

पत्रांक/शि0स0/मान्यता/ 396-98 /2015-16 दिनांक - 18-4-15

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 27.08.2014 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं कैम्ब्रिज ग्लोबल स्कूल, सिकन्द्राबाद नगर क्षेत्र, जिला-बुलन्दशहर को तारीख 01.04.2015 से तारीख 31.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 30.03.2015 के प्रस्ताव संख्या ..... में व्यक्त सहमति के आधार पर अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठ के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी रजिनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
- (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
  - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्षीन नहीं किया जाएगा।
  - (iii) प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
  - (iv) प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;
  - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और;
  - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल                    | - | 1441 वर्ग मीटर |
| कुल निर्मित क्षेत्र                            | - | 700 वर्ग मीटर  |
| क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल                      | - | 741 वर्ग मीटर  |
| कक्षाओं की संख्या                              | - | 16             |
| प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष | - | 3              |
| बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय            | - | उपलब्ध हैं     |
| पेयजल सुविधा                                   | - | उपलब्ध है।     |
| मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई                   |   |                |
| बाधारहित पहुंच                                 |   |                |
9. अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड, अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या- अंग्रेजी अस्थाई नर्सरी व जूनियर-2 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संस्कार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. प्रत्येक कक्षा कक्ष में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट का स्थान बैठने हेतु आधार मानकर छात्रों का प्रवेश किया जाये।
19. विद्यालय में शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति भर्ती की नियमावली में निर्धारित की गयी अर्हता के अनुसार की जाये।
20. मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

भवदीय

(महेश चन्द)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

बुलन्दशहर

पृ०सं०/शि०सं०/  
प्रतिलिपि-

/2015-16 तददिनांक -

1. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड/नगर क्षेत्र
3. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बुलन्दशहर



पथान-1

96

नौजना-11-07

02

दिनांक: / 31/01/2024



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता/निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) बुलन्दशहर

जल परीक्षण रिपोर्ट

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	नगर पंचायत का नाम	बस्ती का नाम	स्तर का नाम	भौतिक परीक्षण			रासायनिक परीक्षण (पी० पी० एम० में)							
					पी० एच०	टी० डी० एम०	टर्बिडिटी एम०टी०/ल	एल्कालिनिटी	आयरन	नाइट्रेट	फ्लोराइड	डोसी	हार्डनेस		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				अनुमन्य सीमा:	6.5-8.5	500-2000	0-5		250-1000	200-600	200-600	0.3-1.0	0-45	1.0	0.01-0.05
1	सिकन्द्राबाद	सिकन्द्राबाद	सिकन्द्राबाद	कैबिन स्टील स्कूल हिरा बालीली सिकन्द्राबाद	7.30	201	2.858	संगठित	110	224	360	0.1	10.0	0.0	0.0

Lab Incharge



सं. 200/20 प्र० जल निगम (ग्रामीण) बुलन्दशहर

सं. 200/20 प्र० जल निगम (ग्रामीण) बुलन्दशहर

GSTIN : 09AAFFA3070M1ZC

Tax Invoice

Subject to Bulandshahr Jurisdiction

ESTD. 1983

Pre - Authenticated  
For AAR TRADERS

Auth. Signatory

# AAR TRADERS

Opp. DAV College, Shiv Market, ShivPuri  
Bulandshahr (U.P.)

Mob.: 09457842918, 09412568948

Govt. Approved General Suppliers and  
Complete Laboratory Furnishers

To, *The Principal*  
*Cambridge Global School*  
*Shikandra Bad*

Party GSTIN: .....

Book No. <b>2</b>	Bill No. <b>61</b>	Dated : <b>23/5/24</b>
----------------------	-----------------------	---------------------------

Sl. No.	DESCRIPTION	QUANTITY	RATE	PER	Amount	
					Rs.	P.
1	<i>Black Board Indent Box</i> <i>wooden</i>	<i>one</i>	<i>800/-</i>	<i>-</i>	<i>800</i>	<i>0</i>
2	<i>match shoe 30x15cm</i> <i>black</i>	<i>one</i>	<i>3200/-</i>	<i>-</i>	<i>3200</i>	<i>0</i>
3	<i>match ket Jumar</i>	<i>one</i>	<i>6500/-</i>	<i>-</i>	<i>6500</i>	<i>0</i>

Your Order No.	Dt.	Total	<i>10500</i>	<i>00</i>
		SGST... <i>9</i> .....%	<i>945</i>	<i>00</i>
		CGST... <i>9</i> .....%	<i>945</i>	<i>00</i>
		SGST.....%		
		CGST.....%		
Rs. (in Words) <i>Ten thousand Three Hundred</i> <i>thirty only</i>		GRAND TOTAL	<i>12390</i>	<i>00</i>

E.& O.E. ● Payment should be within fortnight from the date of our bill  
Otherwise we shall be charge extra 18% interest per annum.  
Punjab National Bank Branch Code : 6198  
A/c No. 0069012100000971 IFSC : PUNB0619800

For AAR TRADERS  
*[Signature]*  
Partner